न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 281 / 2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 53 आरटीए

बन्तासिह पुत्र प्रताप सिह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम

1. अमरजीत सिह पुत्र कृपाल सिह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. रोशनी कौर पत्नी कृपाल सिह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. सुमन पुत्री कृपाल सिह पत्नी बन्टू सिह जाति अराई निवासी मुनक तहसील मुनक जिला संगरूर पंजाब।
4. रज्जो पुत्री कृपाल सिह पत्नी अजय सिह जाति अराई निवासी मुनक तहसील मुनक जिला संगरूर पंजाब।
5. कैलाश देवी पत्नी औम प्रकाश जाति जाट निवासी दीनगढ़।
6. कृष्णा कौर पुत्री प्रताप सिह जाति अराई निवाासी लहेलकला हाल लीलावाली तहसील संगरिया।
7. चेतराम सिह पुत्र धर्मचन्द जाति अराई निवासी मानकसर।
8. जगदीश चन्द्र पुत्र लेखराम जाति ब्राहम्मण सा. लेहलकलां तहसील सुनाम जिला संगरूर।
9. जसवन्त सिह पुत्र धर्मचन्द जाति अराई निवासी मानकसर
10. जसवीर कौर पुत्री अवतार सिह जाति अराई निवासी मानकसर नाबा. कुदरती बली माता मलकीत कौर पत्नी अवतार सिह जाति अराई नि.मानकसर।
11. जोगेन्द्र सिह पुत्र धर्मचन्द जाति अराई निवासी मानकसर।
12. डिप्टी सिंह पुत्र प्रताप सिह जाति अराई निवासी मानकसर।
13. तरसमे सिह पुत्र धर्मचन्द जाति अराई निवासी मानकसर।
14. तीर्थ राम पुत्र लेखराम जाति अराई निवासी मानकसर।
15. नाजर सिह पुत्र धर्मचन्द जाति अराई निवासी मानकसर।
16. पालकौर पुत्री लेखराम जाति अराई सा.लेहलकलां तह. सुनाम जिला संगरूर
17. बन्तो कौर पुत्री प्रताप सिह जाति अराई नि.मुनक तहसील मुनक जिला संगरूर पजाब।
18. बिटटु सिह पुत्र लाल सिह जाति अराई नि.मानकसर।
19. मलकीत कौर पत्नी अवतार सिह जाति अराई नि.मानकसर।
20. लक्ष्मी कौर पुत्री प्रताप सिह जाति अराई नि. मुनक तहसील मनुक जिला श्री गंगानगर।
21. शिमला रानी पुत्री लेखराम जाति ब्राहम्मण सा. लेहलकलां तहसील सुनाम जिला संगरूर।
22. संदीप सिह पुत्र लाल सिह जाति अराई निवासी मानकसर।
23. हिम्मत सिंह पुत्र प्रताप सिह जाति अराई नि.मानकसर
24. पंजाब नेशनल बैक शाखा नगराना।
25. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
26. इन्द्रमोहन पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन ढाबा।

–प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :-

1. श्री नवरत्न स्वामी अधिवक्ता – वादी
2. श्री कन्हैयालाल स्वामी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 6 ता 23
3. श्री ओम प्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5, 26

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खाता चक नम्बर 16 एमकेएस खाता संख्या 131/39 खाता कृपाल सिंह वगैरा के खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी कुल खाता 2[illegible] 3889/22011 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी हमराह दावा प्रस्तुत है। वादी [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] का अर्सा दराज पूर्व घरू तौर पर बंटवारा हो चुका था मुताबिक घरू बंटवारा वादी के हिस्सा व [illegible] में निम्नप्रकार से कृषि भूमि हिस्सा में आई है चक 16 एमकेएस खाता संख्या 131/39 प.नं. 163/231 मु.नं. 104 किला नं. 3/1/0.137, 3/2/0.015, 8,13,18/0.152 है.प्र. 23/0.151 कुल 0.759 है. मय [illegible] वादी ने घरू बटवारा मुताबिक अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि पर काफी श्रम कर व पैसे खर्च कर भूमि सुधार किया व उसे काश्त योग्य बनाया है इसलिये वादी अपना खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाने का मुस्तकहक एवं दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि घरू बंटवारा मुताबिक हिस्सा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kum
Meena
Date: 2024.05.31 12:38:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

आई कब्जाकाश्त कृषि भूमि का खाता तकसीम करवा लेतवे किन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे व बाद में ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

लिहाजा वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादी की वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित आराजी का खाता तकसीम किया जाकर रकम राज [illegible] से कायम करने के आदेश फरमावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 23, 26 ने [illegible] अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किये, जिसका वादी ने कोई विरोध नही किया गया, जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी संख्या 24 की तरफ से बैक जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 25 की तरफ से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी में वादी बन्ता सिह की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी एवं उपस्थित प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादीगण बन्द किये गये।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने वादपत्र व काउन्टर क्लेम के तथ्यो को दोहराते हुऐ कथन किया कि चक 16 एमकेएस खाता संख्या 131/39 व चक 18 एमकेएस खाता संख्या 8/61 में दर्ज आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है एवं समस्त काश्तकार उक्त चको की आराजी अपने घरू कब्जा काश्त अनुसार सहमत होकर प्राप्त कर रहे तथा वाद में कोई विरोधाभास नहीं होने कारण वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 16 एमकेएस खाता संख्या 131/39 खाता कृपाल वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 एवं चक 18 एमकेएस खाता संख्या 8/61 खाता इन्द्रमोहन वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से सांझा खाता में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण ने वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किये है, वाद पत्र में कोई विरोध नही है, इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 23, 26 खाता विभाजन के अधिकारी है। अतः वाद की दफा 3 में वर्णित खाते विवादित है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 23, 26 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया है एवं जिसका वादी ने कोई विरोध नही किया है इसलिए वादी बन्ता सिह का वाद-पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 ता 23, 26 का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 23, 26 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैः-

1. वादी बन्ता सिह पुत्र प्रताप सिह के हक व हिस्से की कृषि भूमिः-

चक 16 एमकेएस खाता संख्या 131/39 जमाबन्दी [illegible] 2070-2073		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
163/231	104	3/1/0.137, 3/2/0.015, 8,13,18/0.15[illegible] है.प. 23/0.151 कुल 0.[illegible] मय गै.मु.

2. प्रतिवादी संख्या 23 हिम्मत सिह पुत्र प्रताप सिह के हक व हिस्से की कृषि भूमि-

चक 16 एमकेएस खाता संख्या 131/39 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
163/231	104	4/1/0.045 है., 4/2/0.005 है. गै.मु. खाला, 5/1/0.093 है. 5/2/0.010 है.6/0.101 है.7/0.050 है. 14/0.050 है. 15/0.101 है. 16/0.101 है. 17/0.050 है. 24/0.053 है. 25/0.100 है. कुल 0.759 है मय गै.मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K[illegible]
Meena
Date: 2024.05.31 12:38:43 IS[illegible]
Reason: SelfAttested

[illegible] कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

3. प्रतिवादी संख्या 12 [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि–

प.न.	मु.न.	चक 16 एमकेएस खाता संख्या 131/39 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 किला नम्बर
163/231	104	4/1/[illegible] है, 4/2/[illegible] है गै.मु. खाला, [illegible]/0.152 है, 16/0.152 है, [illegible]/0.152 है, 24/[illegible] है, कुल 0.759 है मय गै.मु.

4. प्रतिवादी संख्या [illegible] व 14 [illegible] और [illegible] अवतार सिंह [illegible] पत्नी [illegible] अवतार सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि

प.न.	मु.न.	चक 16 एमकेएस खाता संख्या 131/39 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 किला नम्बर
163/231	104	3/1/[illegible] है, 3/2/[illegible] है गै.मु. खाला, 4/1/0.048 है, 4/2/0.025 है, [illegible]/[illegible] है, 8/[illegible] है, 13/[illegible] है, 14/[illegible] है, 17/[illegible] है, 18/[illegible] है, 23/0.152 है, 24/0.048 है, कुल 0.759 है मय गै.मु.

5. प्रतिवादी संख्या 3 व 14 [illegible] के हक व हिस्से की कृषि भूमि–

प.न.	मु.न.	चक 16 एमकेएस खाता संख्या 131/39 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 किला नम्बर
163/230	36	12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 25 कुल 2.5[illegible]

6. प्रतिवादी संख्या [illegible] सिंह, 9 [illegible] सिंह, 11 [illegible] सिंह, 13 [illegible] सिंह, 15 [illegible] सिंह पुत्रगण [illegible] 5/6 हिस्सा [illegible] प्रति.संख्या 19 [illegible] सिंह, 22 [illegible] सिंह [illegible] सिंह 1/6 [illegible] के हक व हिस्से की कृषि भूमि–

प.न.	मु.न.	चक 16 एमकेएस खाता संख्या 131/39 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 किला नम्बर
[illegible]/230	36	6,15,16/0.759 है
[illegible]/230	37	8 ता 13, 18 ता 23/3.036
[illegible]/231	103	1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 8 ता 14, 18 ता 22/3.036 कुल [illegible] है मय गै.मु.

7. प्रतिवादी संख्या 1 अमरजीत सिंह पुत्र कृपाल सिंह के हक व हिस्से की कृषि भूमि

प.न.	मु.न.	चक 16 एमकेएस खाता संख्या 131/39 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 किला नम्बर
163/231	104	5/1/0.135 है, 5/2/0.015 है गै.मु. खाला, 6/0.152 है, 15/0.152 है, 16/0.152 है, 25/0.153 है, कुल 0.759 है मय गै.मु.

8. प्रतिवादी संख्या 5 कैलाश पत्नी ओमप्रकाश के हक व हिस्से की कृषि भूमि–

प.न.	मु.न.	चक 16 एमकेएस खाता संख्या 131/39 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 किला नम्बर
162/230	85	16,25/0.506
163/230	86	11,20,21/0.759
162/231	105	4/1/0.226, 4/2/0.025, 5/1/0.226, 5/2/0.025, 6,7,8/0.759, 12 ता 19/2.024, 22 ता 25/1.012
163/231	104	1/1/0.226 है, 1/2/0.025 है, 2/1/0.226, 2/2/0.025, 9 ता 12/1.012, 19 ता 22/1.012 कुल 8.096 है नहरी/बारानी प्रथम मय गै.मु. खाला
		चक 18 एमकेएस खाता संख्या 8/61 ज.स. 2071–2074
163/232	35	3/1/0.215, 3/2/0.038, 4/1/0.215, 4/2/0.038, 5/1/0.215, 5/2/0.038 कुल 0.759 है नहरी [illegible]

9. प्रतिवादी संख्या 26 इन्दमोहन पुत्र सहीराम के हक व हिस्से की कृषि भूमि

प.न.	मु.न.	चक 18 एमकेएस खाता संख्या 8/[illegible] किला नम्बर
162/232	36	2/1/0.215, 2/2/0.038, 3/[illegible] [illegible] 4/2/0.038, 5/1/0.215, 5/2/0.038
163/232	35	1/1/0.215, 1/2/0.038, 2/1/0.215, 2/2/0.038 कुल 1.518 है नहरी मय गै.मु. रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.31 12:38:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निज X मुब्लिक X बाबत 100/- खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक X को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.31 12:38:43 IST
Reason: SelfAttested